भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 945

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया)

सीएसआर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उपाय

945. श्री मनोज तिवारी:

डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और सीएसआर विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में किए गए सीएसआर कार्यों का जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नवीन सीएसआर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को समर्थन और प्रोत्साहन देने वाली कोई नीति लागू की है जो सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार कंपनियों द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का आकलन किस प्रकार करती है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII उन कार्यकलापों की पात्र सूची को इंगित करती है जिन्हें कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में किया जा सकता है। अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध मदें व्यापक हैं और उनकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां अधिनियम और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में यथा-निहित प्रावधानों की पूर्ति के अध्यधीन अनुसूची VII में उल्लिखित कोई भी कार्यकलाप प्रारंभ कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को अपनी सीएसआर नीति की विषय-वस्तु को अपनी रिपोर्ट में प्रकट करना तथा इसे कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर डालना अपेक्षित है। उसे अपने वित्तीय विवरणों के साथ एमसीए21 रजिस्ट्री में भी फ़ाइल करना आवश्यक है। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती है तो उस पर अभिलेखों की विधिवत जांच करने और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अधिनियम के अंतर्गत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सरकार कंपनियों को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र अथवा कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है।

दिल्ली में कंपनियों द्वारा जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार किया गया सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक I और II में दिए गए हैं।

(ग): अधिनियम की अनुसूची VII की मद सं. (ix) में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्क्यूबेटरों अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में अंशदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, 22 जनवरी, 2021 और 20 सितंबर, 2022 को यथा-अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में संशोधनों ने अधिक निष्पक्षता, पारदर्शिता लाकर, बोर्ड को अधिक जिम्मेदारी सौंपकर और कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण को बढ़ाकर सीएसआर इको-सिस्टम को सुदृढ़ किया है।

(घ): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं कि तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की औसत सीएसआर दायित्व वाली प्रत्येक कंपनी, एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन करेगी।

*****

अनुलग्नक-1

दिनांक 29.07.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 945 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दिल्ली में जिला-वार किए गए सीएसआर व्यय का सारांश (राशि करोड़ रू में)		
क्र.सं.	**जिलों का नाम**	**वि.व. 2022-23**
1.	मध्य दिल्ली	233.86
2.	पूर्वी दिल्ली	56.58
3.	नई दिल्ली	794.41
4.	उत्तरी दिल्ली	42.62
5.	उत्तरी पूर्वी दिल्ली	15.06
6.	उत्तरी पश्चिम दिल्ली	42.39
7.	दक्षिण दिल्ली	128.39
8.	दक्षिण पूर्व दिल्ली	0.17
9.	दक्षिण पश्चिम दिल्ली	43.88
10.	पश्चिम दिल्ली	36.40
11.	पैन इंडिया	2.70
12.	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	87.46
कुल योग		**1,483.91**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

*कंपनियों ने या तो जिलों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक जिलों का उल्लेख किया, जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक- II

दिनांक 29.07.2024 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 945 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दिल्ली में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का सारांश (राशि करोड़ में)		
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**सीएसआर व्यय वित्त वर्ष 2022-23**
1.	कृषि वानिकी	1.41
2.	पशु कल्याण	22.96
3.	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं / आश्रित	42.18
4.	कला और संस्कृति	46.70
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	4.46
6.	शिक्षा	388.16
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	88.06
8.	लैंगिक समानता	14.87
9.	स्वास्थ्य देखभाल	459.47
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	126.82
11.	गरीबी, भुखमरी उन्मूलन, कुपोषण	88.58
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	15.60
13.	स्वच्छ पेयजल	1.17
14.	स्वच्छता	5.48
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	6.73
16.	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	1.42
17.	अनाथालय की स्थापना	1.46
18.	स्लम क्षेत्र विकास	0.60
19.	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	21.07
20.	विशेष शिक्षा	17.76
21.	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	-
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	41.57
23.	व्यावसायिक कौशल	43.38
24.	महिला सशक्तिकरण	22.75
25.	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	21.25
कुल योग		**1,483.91**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

*****